

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(36) ग्राविवि / अनु-5 / जीकेएन / बीएसआरसाफट / 2015-16

जयपुर, दिनांक || जनवरी, 2015

निदेशक

जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग
पंत कृषि भवन जयपुर।

विषय:- टेक्टर मय स्केपर एवं जेसीबी से मिटटी खुदाई कार्य के दर के सम्बंध में।

प्रसंग:- आपका पत्र क्रमांक 18(116)आईडब्ल्यूएमपी / निजमुस / 2015 / 2305 दि. 09.03.
2015, 9680 दि. 20.10.2015 एवं 3655-56 दि. 30.12.2015


महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासादिक पत्रों के सम्बन्ध में निवेदन है कि विभाग द्वारा संचालित जल ग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण कार्यों के कियान्वयन के लिए अनुमत गतिविधि यथा मशीन से मिटटी खुदाई कार्य टेक्टर मय स्केपर एवं जेसीबी से करवाये जाने की स्थिति में जल संसाधन विभाग की प्रचलित बीएसआर की दर मे से ठेकेदार लाभ 10 प्रतिशत की राशि कम कर उपयोग ली जा सकती है। एवं सम्बन्धित जिला/पंचायत समिति की दर अनुसूची (बीएसआर) मे सम्मलित कर ली जावें।



(क. क. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
2. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा ग्रावि।
3. जिला कलक्टर, समस्त, राजस्थान।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
5. अधीक्षण अभियन्ता एवं परियोजना प्रबन्धक, याटरसेड सोल कम डाटा सेन्टर, समस्त राजस्थान।
6. अधिकारी अभियन्ता (अभि), एवं सदस्य सचिव, जिला दर निर्धारण समिति जिला परिषद समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित पंचायत समिति की बीएसआर मे सम्मलित कराने का अम करावे।।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, राजस्थान।

8.  P.D.(M.K.P.), RD for upload on website


मी. के. पटेल
13.1.16


अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)